न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी–डॉ0सूरज सिंह नेगी

अपील संख्या 102/2020 तारीख रजू 12.10.2020

जाकिर पुत्र बाबू खॉ जाति मुसलमान निवासी जेतपुर। ——— अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार खण्डार ——— रेस्पो0

निर्णय दिनांक 10/8/2021

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार द्वारा मिसल संख्या 58/2020 मे पारित आदेश दिनांक 07.09.2020 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम नच्छई के आराजी खसरा नम्बर 161/91, 165/101 रकबा 2.00 बीघा किस्म गैर मुमकिन टीला पर संवत 2077 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर मिर्च की फसल काश्त करने कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 30 दिवस के साधारण सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि व तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। यह है कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया है कि अपीलान्ट को बिना सुनवाई के निर्णय पारित किया जो गलत पारित किया है क्योकि निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर देना चाहिये था जो नहीं दिया गया है एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत गलत निर्णय पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया है कि प्रकरण में अपीलान्ट को प्रोपर तामिल नहीं हो पाई है यदि अपीलान्ट की प्रोपर तामील हो जाती तो अपीलान्ट अपने पक्ष में अधिनस्थ न्यायालय में अपनी साक्ष्य सफाई पेश करता जिसका अभाव पाया गया। यह भी तर्क दिया है कि आराजी खसरा नम्बर 161/91, 165/101 रकबा 2 बीघा भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा नहीं पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है मात्र पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्टर्ट पेश की है जो निरस्तनीय है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार कर

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:04:12 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2020 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

वकील पेराकार सरकार द्वारा वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुये बहस में तर्क दिया गया है कि अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया जिसकी विधिवत रूप से अपीलान्ट के भाई को तामील हुई है जो अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली में शामिल है। तथा तामील होने के उपरान्त अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ जिसका प्रमाण अधिनस्थ न्यायालय की आर्डर शीट पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर मौजूद है। अपीलान्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है तथा पटवारी हल्का के बयान भी अदालत मातहत की पत्रावली में सलंग्न है जिससे साबित होता है कि अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिचारी है। तथा चरागाह भूमि प्रतिबंधित भूमि है यदि उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त नहीं कराया गया तो मवशियों के विचरण करने एवं चारा चरने पर विपरित प्रभाव पडेगा। अतः अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधानिकता नहीं होने से अपीलान्ट की अपील खारिज की जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की मूल पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91(3) के तहत नोटिस जारी किया गया है अपीलान्ट के घर पर मौजूद नहीं मिलने की स्थिति में तामिल कुन्निदा द्वारा नोटिस की एक प्रति खुले मकान पर चश्पा कर नोटिस की तामील करवायी गयी। बावजूद सूचना अपीलान्ट अदालत मातहत की समक्ष उपस्थित हुआ। अतः वकील अपीलान्ट का तर्क है कि अपीलान्ट सुनवाई/सबूत प्रस्तुत करने का मौका नहीं दिया गया मान्य नहीं है। जहां तक अतिक्रमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो अदालत मातहत की पत्रावली में पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान शामिल मिसल है तथा अपीलार्थी द्वारा गैर मुमकिन टीला की भूमि पर अतिक्रमण कर प्रकृति के मूल स्वरूप को नष्ट करने की चैष्टा की गयी है। मै वकील पैरोकार की बहस से पूर्ण रूपेण सहमत हूँ। अतः मेरी राय में अपील अपीलान्ट अस्वीकार योग्य पायी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। तथा तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.09.2020 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10/8/2021 को लिखया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2022.02.24 13:04:12 IST
Reason: SelfAttested